न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2013-14 निगरानी

चन्द्रशेखर श्रीवास आत्मज **बाबूलालजी श्रीवास**
आयु-50 वर्ष, व्यवसाय-व्यापार, **निवासी- मकान**
नं. 21, सुदामा नगर, आगर रोड, **उज्जैन**

.........आवेदक

---विरूद्ध---

1. **मध्यप्रदेश राज्य शासन,**
   द्वारा-कलेक्टर, जिला उज्जैन
   विक्रमादित्य भवन, कोठी पैलेस, उज्जैन

2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
   उज्जैन, जिला उज्जैन
   विक्रमादित्य भवन, कोठी पैलेस, उज्जैन

..........अनावेदकगण

विषय- **न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 1/पुर्नविलोकन/2012-13 में सूचना-पत्र क्रमांक 1581/रीडर-1/2014 उज्जैन, दिनांकित 27-03-2014 एवम् उसमें अन्तर्निहित आदेश के पुनरीक्षण हेतु निगरानी याचिका धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत.**

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी का स्मृतिलेख निम्नानुसार सादर सविनय प्रस्तुत है :-

:: संक्षिप्त-तथ्य ::

1 यह कि आवेदक ने ग्राम नानाखेड़ा, तहसील व जिला उज्जैन में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 81/1/1/2 मिन रकबा 0.066 हे., सर्वे क्रमांक 81/1/1/3 मिन रकबा 0.112 हे., सर्वे क्रमांक 81/2/1/1 मिन रकबा 0.120 हे. के व्यावसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन हेतु आवेदन-पत्र अधीनस्थ न्यायालय रेस्पॉडेंट क्रमांक 2 के समक्ष प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 110/अ-2/12-13 में आदेश दिनांकित 17-06-2013 द्वारा स्वीकृत हुआ।

2. यह कि रेस्पॉडेंट क्रमांक 2 ने दिनांक 16-08-2013 को श्रीमान कलेक्टर, जिला उज्जैन

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1101–[illegible]/14 जिला – [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]-6-14	[illegible] अधिवक्ता श्री आलोक शास्त्री उपस्थित । [illegible] प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया ।	
	2– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण के साथ आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के पत्र दिनांक 27–3–14 के विरुद्ध पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के पक्ष में दिए गए डायवर्शन आदेश को निरस्त किए जाने के कारण आवेदक को भूमि पर निर्मित संरचना को हटाने एवं मूल स्वरूप में लाने के आदेश दिए गए हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी की कार्यवाही में कोई अनियमितता [illegible] अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है । [illegible] यह निगरानी [illegible] से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।	
	प्रशा0 सदस्य	